समान अवसर नीति

- यह नीति टीएचडीसी की सभी इकाईयों/ परियोजनाओं पर लागू होती है।
- टीएचडीसी इंडिया लि. का प्रत्येक कर्मचारी इस नीति के प्रति जिम्मेदार है।
- टीएचडीसी इंडिया लि. सभी कर्मचारियों को समान अवसर देने का लक्ष्य रखती है ताकि वे अपनी पूरी क्षमता से कार्य करे और उत्कृष्टता प्राप्त करें।
- टीएचडीसी की नीति है कि उम्र, रंग, अपंगता, वैवाहिक स्थिति, राष्ट्रीयता, जाति, धर्म, लिंग, लैंगिकता के आधार पर बिना किसी भेदभाव के सबको समान अवसर उपलब्ध कराए जाएं । निगम ऐसा कार्य माहौल कायम करने का प्रयास करता है जो उपर्युक्त आधारों पर किसी भी प्रकार के उत्पीड़न से मुक्त हो ।

I. यह समान अवसर नीति लागू विनियमों, अर्हता एवं व्यक्तिगत गुणों के अध्यधीन होगी। यह समान अवसर नीति ठीक, भर्ती से लेकर सेवानिवृत्त होने तक की अवधि में पूरे सेवाकाल में लागू होगी।

II. **विकलांग व्यक्तियों के लिए समान अवसर नीति**

विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 एवं नियमों के प्रावधानों के अनुसार, विकलांग व्यक्तियों के साथ किसी भी प्रकार के भेदभाव से मुक्त कार्य वातावरण सुनिश्चित करना कम्पनी की नीति है। इसके अलावा विकलांग व्यक्तियों को अपनी भूमिका का निर्वाह करने एवं इसमें विस्तार करने के लिए कम्पनी अनुकूल माहौल प्रदान करने के लिए सभी प्रकार की कार्रवाई करना सुनिश्चित करेगी।

कम्पनी यह सुनिश्चित करने के लिए प्रणाली एवं प्रक्रिया बनाएगी:

- कि विकलांग व्यक्तियों को स्थापना में अपनी ड्यूटी के प्रभावी निष्पादन के लिए उपयुक्त सुविधाएं एवं सुख साधन उपलब्ध कराए जाते हैं।
- कि सुगम वातावरण एवं आवश्यकतानुसार सहायक उपकरण उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है।
- कि मानव संसाधन विभाग आवश्यक सुविधाओं/सुख साधन के साथ विकलांग व्यक्तियों को भर्ती करने की प्रक्रिया के प्रावधानों की देखरेख करने के लिए समन्वय अधिकारी नामोनिर्दिष्ट करेगा ।
- कि विकलांग व्यक्तियों से संबंधित रोगजार के मामलों के निवारण के लिए एक शिकायत निवारण तंत्र उपलब्ध है और संगठन में कार्यरत विकलांग व्यक्तियों की किसी भी शिकायत/व्यथा के निवारण के लिए एक शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति की गई है। कि निगम सुनिश्चित करेगा कि यदि किसी विकलांग व्यक्ति से संबंधित किसी पद, प्रशिक्षण, पदोन्नति, स्थानांतरण, तैनाती, अवकाश एवं आवास आवंटन में वरीयता इत्यादि मामला उठता है एवं इसे कमेटी/प्राधिकारी के समक्ष रखा जाता है तो बिना किसी भेदभाव के निष्पक्षता से इसे निपटाया जाता है। केवल विकलांगता के आधार पर विकलांग व्यक्ति को किसी अवसर से मना नहीं किया जा सकता है ।
- कोई भी कर्मचारी जो इस नीति का उल्लंघन करता है या किसी भी तरीके से विकलांग व्यक्ति के साथ भेदभाव करता है अथवा इस प्रकार के किसी भी व्यक्ति का उत्पीड़न करता है, तो उस पर सीडीए/प्रमाणित स्थाई आदेश अथवा कम्पनी में लागू किसी अन्य नियम के अंतर्गत कार्रवाई की जा सकती है।
- यह नीति सभी कर्मचारियों को टीएचडीसी इंडिया लि. की विभागीय वेबसाइट एवं आंतरिक वितरण के द्वारा उपलब्ध होगी ।
- इस नीति का पर्यवेक्षण/निगरानी एवं प्रसार के लिए महाप्रबंधक(का.एवं प्रशा.) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के प्रति उत्तरदायी होंगे।